ISSN 0973-8541, HUMANITIES AND DEVELOPMENT, VOL.18, NO.1, JAN-JUNE,2023 /128

73वें एवं 74वें संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति

* धर्मेन्द्र कुमार एवं **प्रमोद सिंह
* शोध छात्र, राजनीति विज्ञान एवं **शोध पर्यवेक्षक अध्यक्ष–राजनीति विभाग
टी0एन0पी0जी0 कालेज, टाण्डा अम्बेडकरनगर
डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

भारतीय समाज में महिलाओं की प्रस्थिति में वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक उतार–चढ़ाव दृष्टिगत होता है, हिन्दू जीवन दर्शन में महिलाओं को सभ्यता का स्रोत, संस्कृति निर्माता, जीवन दायिनी भी माना जाता रहा है। किन्तु व्यक्तिगत रुप से वैदिक काल को छोड़कर महिलाओं को निरन्तर संघर्ष करना पड़ा है। महिलाओं को सुख सम्पत्ति ज्ञान एवं शक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती का भी प्रतीक माना जाता है। महिलाओं को जहाँ अद्धांगिनी के रुप में सम्मान प्राप्त है जिसके बिना पुरुषों के किसी भी कर्तव्यों की पूर्ति सम्भव नहीं है। उत्तर वैदिक काल से समाज में सामाजिक व्यवस्था रुढ़ियों में जकड़ी हुई दिखाई पड़ती है। वर्ण व्यवस्था क्रम में जहाँ उच्च, निम्न की भावना का विकास हुआ, आधुनिक काल आते–आते उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग की क्रमबद्धता दिखाई पड़ने लगी। वर्ण एवं जाति की क्रमबद्धता में भी स्त्रियाँ हमेशा निम्न पाय–दान पर बनी रहीं। यदि कहीं समय से पूर्ण ही पंचायत भंग हो जाय तो उस ग्राम पंचायत में छः माह के अन्दर नवीन निर्वाचन करने होंगे। पदों का आरक्षण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलओं के लिए निश्चित है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल पदों में 30प्रतिशत महिलाओं के लिए सुरक्षित है। संविधान संशोधन में पंचायत के कार्यों एवं शक्तियों का भी उल्लेख किया गया है। ये संविधान की दसवीं सूची में रखे गये हैं।

स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात् संविधानिक रुप से महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया गया, जिससे महिलाओं को पुनः सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक अधिकार प्राप्त हुए। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से जो राजनैतिक सशक्तिकारण किया गया उससे उनकी प्रस्थिति समाज में बेहतर हुई है, सामान्य, पिछड़ा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं को भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का संविधान द्वारा प्राप्त हुआ है।

पंचायते प्राचीन काल से ही ग्रामीण जीवन की आधार शिला रही है। गाँव की समस्याओं का निदान एवं विकास कार्यो की जिम्मेदारी पंचायते ही उठाती थीं। आरम्भिक काल में प्रशासकीय व्यवस्था के लिए राज्य गांवों में विभाजित थे, गाँव ही तत्कालीन में राज्य संगठन के प्रमुख भाग होते थे। ग्राम शब्द की पुष्टि ऋग्वेद से होती है।(1) वैदिक साहित्य से गाँव के प्रमुख व्यक्ति 'ग्रामणी' अर्थात गाँव के मुखिया का उल्लेख मिलता है।(2) ग्राम के मुखिया अर्थात ग्राम प्रधान को 'ग्रामीणी' ग्रामाधिपति, 'ग्रामिक' आदि के नाम से जाना जाता था।(3) स्वतंत्रता पूर्व से लेकर स्वतंत्रता पश्चात तक यहाँ गावों में निवास करने वाले प्रतिष्ठित बूढ़े बुजुर्गों की पंचायते ही गाँव के विकास के लिए कार्य करती थीं, जिनहें सामाजिक मान्यता प्राप्त थी। विकास कार्यों से लेकर गाँव के झगड़े, परिवारिक समस्याओं के साथ–साथ जनकल्याण को दिशा में कार्य किया जाता था।

स्वतंत्रता के पश्चात पंचायतीराज व्यवस्था के क्षेत्र में विशेष रुप से 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के रुप में प्रारम्भ हुई। इस कार्यक्रम के अनतर्गत गाँव के मुखिया एवं सरपंचों के सहयोग से सरकार द्वारा ग्रामीण विकास योजनाओं का निर्माण किया गया था। तत्पश्चात अनेकों

कार्यक्रम यथा–गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसे अनेकों सामाजिक बुराईयों को दूर करने हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम को पंचवर्षीय योजना में स्थान दिया गया। इसको बेहतर बनाने के लिए समय–समय पर विभिन्न समितियों का गठन करके उसके सुझावों को सरकार अपनी योजनाओं में समाहित कर पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ बनाने का प्रयास निरन्तर करती रही है।[4] पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया। बलवन्द राय मेहता समिति, 1956, अशोक मेहता समिति 1959, जी0वी0के0 राव समिति 1985, डॉ0 एल.एम0 सिंधवी समिति 1987, सरकारिया आयोग, पी0के धुंगन उपसमिति 1988, संविधान का चौसठवाँ संशोधन विधेयक 1989, संविधान का चौहत्तरवाँ संशोधन विधेयक 1990 एवं संविधान का तिहत्तरवाँ संशोधन अधिनियम 1993 लागू किया गया था।

73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम –

पी0वी0 नरसिम्हाराव के शासन काल में पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 राजीव गाँधी सरकार द्वारा तैयार पंचायतीराज संस्थाओं से सम्बन्धित विधेयक को संशोधित कर दिसम्बर 1992 में 73वें संविधान संशोधन के रुप में संसद के द्वारा पारित कराया गया। 73वों संविधान संशोधन अधिनियम, 24 अप्रैल 1993 को सम्पूर्ण देश में लगू हुआ। इस अधिनियम के साथ ही संविधान में एक नया भाग, भाग–9 जोड़ा गया जिसका शीर्षक 'पांयत' है।[5]

भारत में पंचायतीराज व्यवस्था प्राचीन काल से लेकर उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर है। इस व्यवस्था के माध्यम से निरन्तर यह प्रयास विभिन्न सरकारों के माध्यम से किया जाता रहा है। कि ग्रामीण जनसमुदाय को इसका लाभ निरन्तर प्राप्त हो रहे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए 73वें संवधिान संशोधन अधिनियम–1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी रुप से सशक्त बनाया गया है जिससे लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकृत शासन को मजबूत कर समाज के अंतिम व्यक्ति को इसका लाभ प्रदान किया जा सके।[6]

73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। इस अधिनियम की मूल विशेषताऐं निम्नवत् हैं –

1– 20लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में पंचायतीराज व्यवस्था की त्रिस्तरीय प्रणाली पर बल दिया गया है।

2– पंचायतीराज के सभी अंगों का कार्यकाल 5वर्ष निर्धारित किया गया है साथ ही पंचायतों के विघटित होने के छ' माह के भीतर ही चुनाव कराने का प्रावधान किया गया है।

3– पंचायत के लिए मतदाता सूची तैयार करने, चुनाव प्रक्रिया की देख–रेख निर्देश एवं नियन्त्रण के लिए एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग का गठन होगा।

4– इस अधिनियम द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए पंचायतीराज संस्थाओं में एक तिहाई स्थान देने की व्यवस्था की गई है।

5– पंचायतीराज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की देखभाल के लिए प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग गठित किये जाने का प्रावधान है।

6– विधेयक में यह कहा गया है कि पंचायतीराज संस्थाऐं आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए नियोजन बना सकती हैं।

7– पंचायतीराज के अंकेक्षण के लेखा–जोखा का दायित्व राज्य सरकार के पास दिया गया है।[7]

73वें संविधान संशोधन एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित होने के पश्चात् महिलाओं को प्राप्त तैतीस प्रतिशत आरक्षण के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का प्रयास सराहनीय है। शिक्षा स्वतंत्रता को समाहित करते हुए सामाजिक सेवाओं के समान अवसर , राजनैतिक एवं आर्थिक निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य हेतु समान वेतन, कानूनी सुरक्षा एवं प्रजजन के अधिकार जैसे मुद्दों

को सशक्तिकरण के साथ समाहित किया गया है। आज लगभग 11 लाख से अधिक महिलाऐं पंचायतों के काम–काम में प्रत्यक्ष रुप से जुड़ी हैं। इसका सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक प्रभाव तभी दिखाई पड़ेगा जब महिलाऐं स्वयं अपने आप को एक सशक्त भूमिका में प्रस्तुत करेंगी।[8]

पंचायतों के लिए महिलाओं को 73वें संवधिान संशोधन अधिनियम द्वारा 33 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया था। वर्ष 2009 देश के पाँच राज्यों यथा– बिहार, उत्तराखण्ड, हिमांचल प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में 50 प्रतिशत का आरक्षण है जिसमे बिहार ऐसा पहला राज्य है जिसने 2006 में महिलाओं के लिए पंचायत स्तर पर 50 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान करता है। सैद्धान्ति रुप से महिलओं को आरक्षण के द्वारा शक्ति अवश्य प्राप्त हुई है, किन्तु पुरुषों के ऊपर उनकी अधीनता के कारण वह आज भी कमजोर हैं। वास्तविक सत्ता आज भी पुरुषों के पास ही है। अज्ञानता, अशिक्षा, अनुभवहीनता उन्हें कमजोर बनाती है। इस आशय यह कतई नहीं है कि उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा जाय आज नहीं तो कल वह अवश्य ही आत्म निर्भर बन सकेंगी।

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021 के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि पंचायत स्तर पर महिलाओं की भगीदारी अवश्य ही बढ़ी है–

	कुल संख्या	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
ग्राम प्रधान	58176	31212	53.7
क्षेत्र पंचायत ब्लाक प्रमुख	75855	447	54.2
जिला पंचायत	75	42	56.00

73वें संविधान संशोधन में यह निर्दिष्ट है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण है। राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ी जातियों (ओ0बी0सी0) के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था है। समाज के दलित गर्व को इन आरक्षणों ने सशक्त किया लेकिन कपितय हतोत्साहक तत्व भी इस व्यवस्था में दिखाई दिये हैं। राजीव गाँधी प्रतिष्ठान ने 'भारत में पंचायती राज स्तर प्रतिवेदन–1999 (मार्च 2002)' अपने प्रतिवेदन में कहा है, ''अधिकांशतः इन समूहों इन समूहों के सदस्य (अनुसूचित जाति/जनजाति व महिला समूह सन्दर्भित है), निरक्षर अनुभवहीन अभिव्यक्ति में कमजोर पाये गये हैं। विशेषकर, महिला नेतृत्व बहुत हद तक अपने पतियों की बुद्धि पर निर्भर पाया गया है। इस स्थिति में पंचायत शासन में समस्यायें पैदा की है।''

73वें संविधान संशोधन के माध्यम से गरीबी निवारण कार्यक्रम, प्राथमिक एंव माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा, प्रौढ़ एवं गैर–औपचारिक शिक्षा, सांस्कृतिक, गतिविधियाँ, स्वास्थ्य एवं सफाई अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय सहित, परिवार कल्याण महिला एवं बाल विकास, विकलॉग एवं मानसिक रोगियों सहित समाज कल्याण, मलिन वर्ग कल्याण विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण।

स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं में मलिन वर्ग को कानूनी अनिवार्य प्रतिनिधित्व इस प्रतिनिधित्व संशोधन की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है जिसमें महिलाओं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में तीनों स्तरों पर अनुसूचित जाति के सदस्यों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जायेगा और इनमें एक–तिहाई आरक्षण अनुसूचित जाति की महिलाओं का भी होगा। सभी स्तरों पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में अध्यक्षों का भी आरक्षण होगा, जिनमें एक–तिहाई

महिलाऐं होंगी। पंचायत के तीनों स्तरों पर कुल सदस्यों व अध्यक्षों में से एक–तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इस प्रकार भिन्न–भिन्न निवार्चन क्षेत्रों में आरक्षण आवंटित किये जायेंगे।[9]

लोकतांत्रिक प्रक्रिया में स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र की रक्षा हेतु महिलाओं की भागीदारी अत्यधिक आवश्यक है। राजनैतिक गतिविधियों में प्रतिभाग हेतु महिलाओं को जागृत करने की आवश्यकता है। इसमें भी अनुचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के महिलाओं में यह जागृति और भी महत्वपूर्ण है। उनकी क्षमता में वृद्धि के साथ–साथ उनमें आत्मविश्वास भी पैदा करना होगा ताकि आरक्षण की मूल भावना को शक्ति प्राप्त हो सके। पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था में चुनकर आ जाने के पश्चात महिलओं को स्वतंत्र रुप से सीखने एवं कार्य करने के लिए छूट पारिवारिक सदस्यों द्वारा मिलनी चाहिए। परिवार के पुरुष वर्ग का हस्तक्षेप अनावश्यक रुप से बन्द होना चाहिए ताकि महिलाऐं अपनी ताकत पहचान सकें। सार्वजनिक स्थलों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकें। अपने जीवन मे आने वाली समस्याओं का हल स्वयं खोज सकें। जब तक महिलाओं को पाबन्दियों से मुक्त नहीं किया जायेगा, वह घूंघट जैसी प्रथाओं से बाहर नहीं निकल पायेंगी। आवश्यकता आज इसी बात की है कि चुनाव जीतने के पश्चात प्राप्त हुए अवसरों को प्रात्साहन में परिवर्तित कर उन्हें स्वतंत्र रुप से कार्य करने का सम्पूर्ण अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अन्यथा संविधान द्वारा प्रदान किये गये आरक्षण का मूल ही नष्ट हो जायेगा।

निष्कर्ष रुप में कहा जा सकता है कि 73वें, 74वें संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। 73वें व 74वें संविधान वर्तमान स्वरुप में विकसित होता दिखाई दे रहा है। वर्तमान (2023) के नगर–निकाय चुनाव में महिलाओं ने विशेष कर अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर पंचायतों में अपनी उपयोगिता और जवाबदेही सिद्ध की है।

संदर्भ–सूची

1. ऋग्वेद, 1/114/1
2. वैतिरीय संहिता, 2/5/4/4
3. मनुस्मृति, 2/115/116
4. दूबे, अवध नारायण; नई पंचायती राज व्यवस्था, मिश्रा ट्रेडिंग कारपोरेशन वाराणसी, पृ0–28
5. भट्ट, आशीष; लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एवं जनजातीय नेतृत्व, रावत पब्लिकेशन्स जयपुर पृ0–22
6. चौधरी, विश्वमित्र प्रसाद; भारत में पंचायतीराज का उदभव एवं विकास पुष्पांजलि प्रकाशन, दिल्ली–पृ0–54
7. दूबे, अवध नारायण; नई पंचायती राज व्यवस्था, मिश्रा ट्रेडिंग कारपोरेशन वाराणसी, पृ0–57
8. देवपुरा, प्रताप मल; ग्रामीण विकास का आधार, आत्मनिर्भर पंचायते, भूमिका प्रकाशन नई दिल्ली, पृ0–162
9. गुप्त, सुधांश; ग्राम सभा लोकतंत्र का आधार, प्रगति सहित्य सदन, नई दिल्ली, पृ0–29